न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : पूर्णपीठ

1–मनोज गोयल
अध्यक्ष
2–एम.के.सिंह,
सदस्य
3–अशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2790–तीन/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.10.02 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 98/अपील/1999–2000

.....

श्रीमती नर्बदीबाई विधवा जमनालाल
निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–नारायण आ. जमनालाल
2–वीरेन्द्र आ.नारायण अव्यस्क द्वारा पिता नारायण आ.जमनालाल
दोनों निवासी ग्राम जैतपुरा तहसील सिरोंज जिला विदिशा
3– कलियाबाई वयस्क पुत्री रामचन्द
निवासी लटेरी अदालत के पीछे
लटेरी जिला विदिशा म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र.2

सर्वश्री एस.पी.धाकड़,डी.एस.चौहान,एस.एन.शर्मा,ओ.पी.शर्मा,दिवाकर दीक्षित,धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, दिलीप पासी, टी.टी.गुप्ता, न्यायमित्र अभिभाषक

.....

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 5/11/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–10–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार सिरोंज के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सरवरपुर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1 रकबा 1.467 हेक्टर उसके पति जमुनालाल के नाम दर्ज थी और उसके पति जमुनालाल का स्वर्गवास हो चुका है अतः उक्त भूमि पर उसका नाम दर्ज किया जाये, क्योंकि मृतक जमुनालाल ने उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई इश्तिहार का प्रकाशन होने पर अनावेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि मृतक भूमिस्वामी जमुनालाल द्वारा दिनांक 21–3–1994 को उसके पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया गया है इसलिये विवादित भूमि पर उसका नामान्तरण किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–6–1998 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 भाग पर आवेदिका का नामान्तरण स्वीकार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–12–1999 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–10–2002 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसे निगरानी प्रकरण कमांक 2790–तीन/2002 पर दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । दिनांक 7–7–2004 को अध्यक्ष के संज्ञान में यह तथ्य आने पर कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख चोरी हो गया है । उनके द्वारा इस प्रश्न का निराकरण पूर्णपीठ से कराया जाना प्रस्तावित किया गया कि *"क्या संहिता की धारा 32 के प्रावधानों का उपयोग करते हुये पक्षकारों की सहमति से प्रमाणित प्रतिलिपियों के आधार पर कार्यवाही की जा सकती है अथवा नहीं ?"*

3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे । न्यायमित्रगण अभिभाषकों द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रकरण में अभिलेख चोरी हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं है, अतः न्यायहित में उभयपक्ष की ओर से अधिनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से संबंधित दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियॉ/फोटोप्रतियॉ प्रस्तुत की जाये, और जिन पर उभयपक्ष सहमत हो, तब प्रकरण का निराकरण उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किया जाना उचित होगा ।

4/ इस संबंध में पूर्णपीठ का मत है कि चूँकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख चोरी हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं है, और जिसके मिलने की संभावना नगण्य है । ऐसी स्थिति में प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है । ऐसे समस्त प्रकरणों में, जिनमें अभिलेख गुम हो जाने अथवा चोरी हो जाने से उपलब्ध नहीं है, उन प्रकरणों में उभयपक्ष की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियॉ/फोटोप्रतियॉ प्रस्तुत की जाये और यदि उभयपक्ष उपरोक्त दस्तावेज की प्रतियों से सहमत हो, तब उनके आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये ।

(मनोज गोयल)	(एम.के.सिंह)	(अशीष श्रीवास्तव)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर